(278)

पत्रांक–16/प्र0सु0–02–04/2013 का०–2132

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

एस0के0 शतपथी,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,
झारखण्ड, रांची ।

राँची, दिनांक 28/2/14

विषय : आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) से उपस्थिति को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्दों, अनुमण्डलीय अस्पतालों, जिला अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में अनिवार्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महाशय,

कृपया दि0 26.02.2014 की मुख्य सचिव के साथ हुई बैठक में बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली से उपस्थिति दर्ज किये जाने हेतु लिए गये निर्णय का स्मरण करें। इस विषय पर निम्नवत् कार्रवाई करने का निदेश प्राप्त हुआ है :–

1. वर्णित प्रणाली दिनांक 01.04.2014 से लागू होगी एवं प्रत्येक कर्मचारी/पदाधिकारी के लिए उपस्थिति दर्ज किया जाना आवश्यक होगा ।
2. इसके लिए सम्बन्धित कार्यालयों के कार्यालय प्रधान अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों/पदाधिकारियों का AEBAS में आधार संख्या के आधार पर रजिस्ट्रेशन weblink- http://aadhaar.jharkhand.gov.in:8008/RegisterYourself.aspx पर कराना सुनिश्चित करेंगे। इसमें संविदा/दैनिक रूप आदि के आधार पर रखे गये कर्मी भी सम्मिलित होंगे।
3. रजिस्ट्रेशन को validate करने के लिए प्रत्येक कार्यालय प्रधान अपने यहाँ नोडल ऑफीसर को नामित करेंगे। आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली हेतु संसाधन एवं सम्बन्धित टैबलेट के रख–रखाव एवं सुरक्षा की जवाबदेही भी सम्बन्धित कार्यालय प्रधान की होगी।
4. प्रत्येक कार्यालय प्रधान सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रशिक्षण हेतु नियुक्त UID के DPO/ NIC के DIO से अपने नोडल पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाना सुनिश्चित करेंगे।
5. राज्य स्तर पर इसके अनुश्रवण/समीक्षा का कार्य आपके स्तर पर किया जायेगा।

6. वर्णित कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों की संख्या की जानकारी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को दि0– 10.03.2014 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,

(एस0के0 शतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–16 / प्र0सु0–02–04 / 2013 का॰–2132 / रांची, दिनांक–28/2/14

प्रतिलिपि–सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को क्षेत्र स्तरीय कार्यालयों के नोडल पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने एवं Tablet and Finger Print Scanner उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव।